प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –400 / 2023

अनवान : –

1. प्रकाश चन्द्र पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामगोपाल पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर केक खाता स0 27 / 0 की कुल 4.0100 हैक्ट भूमि में से 7 / 48 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि बाबात पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27 / 0 की कुल क्षेत्रफल 4.0100 है0 भूमि में से 7 / 48 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 0.06325 है0 भूमि पर वादी काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीग स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिका समझौता पेश किया गया की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27 / 0 की कुल क्षेत्रफल 4.0100 है0 भूमि में से 7 / 48 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 0.06325 है0 भूमि पर प्रकाश चन्द्र का ही कब्जा है। अत उक्त वाद भूमि प्रकाश चन्द्र के नाम दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया ... प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने उपस्थित आकर ... करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर केक खाता स0 27/0 की कुल 4.0100 हैक्ट भूमि में से 7/48 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27/0 की कुल 4.0100 है0 भूमि में से 7/48 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 0.06325 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –400 / 2023
अनवान : –

1. प्रकाश चन्द्र पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामगोपाल पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 400 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27 / 0 की कुल 4.0100 है0 भूमि में से 7 / 48 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 0.06325 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested